फर्द अहकाम

रामेश्वर बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपजिलाधिकारी नवाबगंज, ...

केस संख्या 39/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दाखिलखारिज की रिपोर्ट पेश की। मिसिल शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 20/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	20/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेशार्थ नियत है। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस को मनन किया गया। अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थी की याचिका यह अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्व संहिता को निरस्त किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

(1/2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
39/2025

तारीख दायर
28/02/2025

तारीख फैसला
20/06/2025

1. रामेश्वर पुत्र भूराराम जाति बांगढा ब्राहमण निवासी जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार धोला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभावक
श्री गौरव शर्मा :– वकील प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम ...चन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में आराजी भूमि हाल खसरा नम्बर 221 रकबा 0. ...0है0 साबिक खसरा नम्बर 712, 713 स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि है। ...र्थी अपनी खातेदारी भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसका ...न सैटलमेंट के कर्मचारियों द्वारा नक्शा कायम किया गया है जो कि नवीन कायम करते समय ...र्थी की भूमि खसरा नम्बर 221 में से कम करते हुए पडौसी खसरा नम्बर 230 किस्म गै0मु0रास्ता ...भूमि के नक्शें को बढाते हुए नक्शा कायम कर दिया है जिससे प्रार्थी की लगभग 5 मीटर भूमि ...शें मे से कम हो गई है जो दुरूस्तनीय है। खसरा नम्बर 230 की रकबा बरारी करने पर उक्त ...बा जमाबन्दी मे दर्ज रकबे से अधिक पाया गया तथा खसरा नम्बर 221 की रकबा बरारी करने पर ...का रकबा भी जमाबन्दी में दर्ज अनुसार नही पाया जाता है। इसलिए खसरा नम्बर 221 व 230 ...नक्शा दुरूस्ती जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार व मौके अनुसार की जाकर नक्शा दुरूस्ती की ...वे। अतः ग्राम जयचन्दपुरा में स्थित हाल खसरा नम्बर 221 रकबा 0.2400है0 जिसके साबिक ...सरा नम्बर 712, 713 का पूर्व नक्शें अनुसार एवं खसरा नम्बर 230 मे से कम करते हुए अंकन ...या जाकर पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 221 का अंकन कर ...बा बरारी करते हुए पुराने नक्शें के अनुसार नवीन नक्शा कायम करने के आदेश प्रदान किये ...वें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी रजि0 ए0डी0 से करवाई गई। ...ार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एलआर/25/6521 दिनांक 3.6.25 द्वारा जवाब/रिपोर्ट ...की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने जवाब मे निवेदन किया कि ...स्व जमाबन्दी ग्राम जयचन्दपुरा खसरा नम्बर 221 रकबा 0.24है0 खातेदार तीजा देवी पुत्री ...श्वर हि0 1/3, मदन लाल पुत्र रामेश्वर हि0 1/3, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामेश्वर हि0 1/3 समस्त ...ति बागडा ब्राहमण सा0देह व खसरा नम्बर 230 रकबा 0.08है0 खातेदार राजस्थान सरकार के नाम ...रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 221 का रकबा 0.24है0 रकबा बरारी राजस्व नक्शा ...चन्दपुरा अनुसार 0.21है0 जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 230 का रकबा 0.08है0 व रकबा बरारी ...ुसार 0.11है0 नकल गत नक्शा चकतराशि लठठा मौका जयचन्दपुरा संन 1960 अनुसार व रकबा ...री अनुसार नक्शा संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने तथा बहस का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम जयचन्दपुरा, पटवार हल्का जयचन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ में स्थित उक्त वादांकित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 221 रकबा 0.2400है0 साबिक खसरा नम्बर 712, 713 हाल नक्शा तरमीम को मुताबिक रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शें अनुसार रकबा बरारी कर गत नक्शें अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा डंकित करवाया जाकर आज दिनांक 20.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर